

प्रोफार्मा-9  
// वचन पत्र //

(स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय रु. 100/के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर  
निष्पादित)

- मैं,.....पुत्र/पुत्री.....नीट  
यू0जी0 वर्ष.....रोल नंबर.....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि  
:-
1. मेरे द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधनों का भली-भाँती अध्ययन कर समझ लिया गया है।
  2. मुझे शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड (यदि लागू हो) का संज्ञान है, एवं मैं उक्त निर्धारित शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड से सहमत हूँ।
  3. मैं सदैव IMC Regulation 2002 (professional, etiquette and ethics)का पालन करूंगा/करूंगी एवं पाठ्यक्रम की अवधि में किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता, रेगिंग एवं अन्य अनुशासनहीनता से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता नहीं होगी। मैं किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहूंगा/रहूंगी एवं किसी भी हड़ताल (Strike) में शामिल नहीं होऊंगा/होऊंगी। संलिप्तता पाये जाने पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 17 (3) के अन्तर्गत मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
  4. मैं शासन के विधि द्वारा स्थापित समस्त अधिनियम तथा समय-समय पर जारी समस्त कार्यपालिक निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।

वचनग्रहीता  
मेरे द्वारा वचनपत्र में दी गई समस्त जानकारी सही एवं सत्य है जिसका सत्यापन  
आज दिनांक ..... को स्थान ..... में मेरे द्वारा सत्यापन किया  
गया।

(1) गवाह :-  
नाम.....  
पता.....  
मोबाईल नंबर.....

(2) गवाह :-  
नाम.....  
पता.....  
मोबाईल नंबर.....

(3) पिता/अभिभावक का नाम - .....  
पता .....  
मो.नं.....  
ईमेल.....

वचनग्रहीता